फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम:– नसीराबाद

मंगला बनाम राज्य

किस्म मुकदमा :– 84/13 राज0 काश्त0 अधि0 1955 प्रकरण संख्या 13 सन् :–2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.11.21	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियकें नोटिस लतब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद	23.12.21
2.12.21	अधिवक्ता वादी ने एक पूर्व निर्णय पत्रावली प्रकरण को विड्रो करने बाबत पेश किया पत्रावली तलब की गयी वादी अधि के विरुद्ध किया कि प्रकरण के प्रकरण समाप्त हो गया है अतः वाद को आगे नहीं चलाया जाना है वादी के विरुद्ध का नाम NOT Press से खारिज किया जाता है पत्रावली मिसल दुरुस्त हो कर नियम से बंद हो व दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद	Rumesh Singh

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:27:37 IST
Reason: SelfAttested